सं.आईसीएमआर/भर्ती एवं पदोन्नति/पदोन्नति/सहा.महानिदेशक(वित्त)/2025

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029.

दिनांक: 01.07.2025

कार्यालय आदेश

विषय: परिषद के सहायक महानिदेशक (वित्त) के पद पर पदोन्नति- के संबंध में।

****

डीपीसी (समूह 'ए') की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार, निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा अधिकारी को नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन लेवल -12 (78,800-2,09,200 रुपये) में सहायक महानिदेशक (वित्त) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान में कार्यरत संस्थानों/केन्द्रों का नाम	पदोन्नति पर पोस्टिंग का स्थान	टिप्पणी
1.	श्री उदय कुमार	परिषद मुख्यालय	परिषद मुख्यालय	पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू पदोन्नति हेतु अनुशंषा।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर नियमित आधार पर पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति देने तथा इस आदेश के जारी होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर इस पद का कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है तथा यह पदोन्नति आदेश आगे कोई अन्य नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः ही रद्द हो जाएगा। स्वीकृति प्रस्तुत करने के लिए या अन्यथा पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए बाध्यकारी आधारों को छोड़कर समय बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. परिषद के नियमों के अनुसार वे भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगें।
4. उनका वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग और सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 की सिफारिशों के अनुसार नियत किया जाएगा।
5. उन्हें पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर यह विकल्प देना होगा कि वे नए पद का नियत वेतन लेंगे, या पदोन्नत पद, सहायक महानिदेशक (वित्त) के पद का पदोन्नत पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के पिछले वेतन स्तर में उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन लेंगे।
6. यदि वे अपनी पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार कर देते है तो उन्हें आगे तब तक वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, जब तक कि वे पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं हो जाते।
7. निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नत पद की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा और डीओपीटी के दिनांक 1 अक्टूबर 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/81-स्था.(डी) के अनुसार, वंचित अवधि के दौरान पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।

8. उपरोक्त पदोन्नति श्री प्रमोद कुमार द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका WP(C) सं. 3923/2024 के निर्णय के अधीन और अन्य संबंधित न्यायालयी मामलें, यदि कोई हुए तो, के निर्णयों के अधीन होगी।

9. वे परिषद के अधीन सेवा की सामान्य शर्तों एवं नियमों के अधीन होंगे तथा परिषद के अधीन अपनी पिछली सेवा के सभी लाभ उन्हें मिलते रहेंगे।

रीमा शर्मा)
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

श्री उदय कुमार,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी, परिषद, मुख्यालय।

प्रतिलिपिः-

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार, के निजी सचिव।
2. **श्री उदय कुमार** - अनुरोध है कि कार्यभार ग्रहण करने/पदभार ग्रहण करने/पदोन्नति से इंकार करने से संबंधी सूचना, यदि कोई हो, तो कृपया ईमेल **admin1.hq@icmr.gov.in** के माध्यम से परिषद मुख्यालय के स्थापना अनुभाग को तत्काल भेज दी जाए।
3. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक(प्रशा.) / सहायक महानिदेशक (वित्त), परिषद मुख्यालय।
4. सहायक निदेशक,(राजभाषा), परिषद मुख्यालय - इस कार्यालय आदेश का हिंदी अनुवाद ईमेल आईडी **ao.rpcell@icmr.gov.in** पर उपलब्ध कराने के हेतु
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी /बिल अनुभाग, परिषद मुख्यालय।
6. संपर्क अधिकारी (आरक्षण कक्ष), परिषद मुख्यालय ।
7. सतर्कता/लेखा - VI अनुभाग/कानूनी कक्ष, परिषद मुख्यालय।
8. नोडल अधिकारी, आरटीआई डेस्क, परिषद मुख्यालय।
9. नोडल अधिकारी, ई-गवर्नेंस सेल, परिषद मुख्यालय।
10. बजट/गार्ड फाइल/वेतन वृद्धि/वरिष्ठता फाइल